रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11012021-224335
CG-MH-E-11012021-224335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2021/ पौष 21, 1942
No. 14] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2021/PAUSHA 21, 1942

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई , 8 जनवरी, 2021

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021

सं. फेमा.23(आर)/(4)/2021-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-7 की उप-धारा (1) के खंड (ए) एवं उप-धारा (3) तथा धारा-47 की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी], जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात;-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली में, विनियम 4 के अंतर्गत, उप-विनियम (ईए) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ईए) विदेशी पट्टाकर्ता द्वारा पुनः कब्जे में लिए गए लीज़ पर दिये गए पूर्णतः अथवा अंशतः टूटे हुए ऐयरक्राफ्ट/ हेलिकॉप्टर और/ अथवा इंजिन/ औक्सिलरी पावर यूनिट (APUs), जिन्हें अपरिवर्तनीय गैर-पंजीकरण एवं निर्यात

अनुरोध अधिप्रमाणन (आईडीईआरए) धारक द्वारा "केप-टाउन कन्वेन्शन" के तहत किए गए अनुरोध अथवा पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के बीच के लीज़ करार के किसी अन्य समापन अथवा निरसन पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विधिवत रूप से गैर-पंजीकृत किया गया है, का पुनर्निर्यात; इस शर्त के अधीन कि इस प्रकार के निर्यात/ निर्यातों को डीजीसीए/ नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई हो।"

आर. एस. अमर, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./450/2020-21]

फुट नोट : विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी] दिनांक 12 जनवरी 2016 को जी.एस.आर. संख्या 19(ई) के मार्फत सरकारी राजपत्र के असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी; एवं तत्पश्चात इसे दिनांक 23 जून 2017 को जी.एस.आर. संख्या-635(ई) के मार्फत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 23 जून 2017 की अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(1)/2017-आरबी, दिनांक 09 दिसंबर 2019 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 03 दिसंबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(2)/2019-आरबी तथा 31 मार्च 2020 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(3)/2020-आरबी के मार्फत संशोधित किया गया था।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2021

Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2021

No. FEMA 23(R)/(4)/2021-RB.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) and sub-section (3) of section 7 and clause (b) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015- RB dated January 12, 2016] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:

1. **Short title and commencement: -**

   i. These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2021.

   ii. They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Principal Regulations, in regulation 4, for sub-regulation (ea), the following shall be substituted, namely:-

   "*(ea) re-export of leased aircraft/ helicopter and/or engines/auxiliary power units (APUs), either completely or in partially knocked down condition re-possessed by overseas lessor and duly de-registered by the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) on the request of Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA) holder under 'Cape Town Convention' or any other_termination or cancellation of the lease agreement between the lessor and lessee subject to permission by DGCA/Ministry of Civil Aviation for such export/s."*

R. S. AMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./450/2020-21]

Foot Note: The Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015- RB dated January 12, 2016] were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.19 (E) dated January 12, 2016 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended by Notification No. FEMA 23(R)/(1)/2017-RB dated June 23, 2017 published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 635(E) dated June 23, 2017, No. FEMA 23(R)/(2)/2019-RB dated December 03, 2019 published in the Official Gazette on December 09, 2019 and No. FEMA 23(R)/(3)/ 2020-RB dated March 31, 2020 published in the Official Gazette on March 31, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.11 22:01:35 +05'30'